न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 64/2019

RCMS No-2019/00207

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री अमरचंद पुत्र रामजीवन शर्मा, मैसर्स ओम डेयरी, रजत नगर, मैन रामदेव रोड़, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी उपस्थित

—: निर्णय :—

दिनांक — 07/01/2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 24.10.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी स्वयं फर्म पर उपस्थित मिला तथा रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) बिक्री करते हुए पाया गया। उसकी फर्म का निरीक्षण करने पर 50 पैक पैकेट रसगुल्ला रखे थे, जिनमे प्रत्येक पैकेट में एक किलो थे, जिनमें से चार मूल पैकेट के नमूने को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा चारो पैकेटों को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—821 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) को जो मिथ्याछाप Misbrand under section 1 (1) (zf)(C)(i) का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbrand रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं बहस में उल्लेख किया कि जो रसगुल्ला उसकी फर्म से पाया गया, वह उसने एक अन्य फर्म से क्रय किया है तथा जांच के वक्त उसके पास बिल नहीं था, जो उसने अपने जवाब के साथ पेश कर दिया है। इस संबंध में उसका कोई दोष नहीं है तथा भविष्य में वह इस संबंध में पुरा ध्यान रखेगा। जिससे न्यूनतम जुर्माने दण्डित कराने बाबत निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.10.2018 को अप्रार्थी की फर्म से रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर—821 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से परीक्षण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 24.10.2018 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–821 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./750/एक्ट/2018/765 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–821 को Mis Branded माना है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded खाद्य वस्तु रसगुल्ला (लक्ष्मी ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक07/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली